संख्याः-**70/2025/001-214/23-12-2025-1177893**

प्रेषकः

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
जी0-5 व 6, सेक्टर-10, द्वारका,
नई दिल्ली।

2. प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ, दिनांक 11अप्रैल, 2025

विषय- यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रासिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेंज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रासिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेंज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एन0एच0ए0आई0 के साथ सम्पन्न बैठक दिनांक 14.05.2024 में एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रदत्त सहमति व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन तथा प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1330/प्र0स0-अ0औ0वि0/आई0टी0 इले0वि0/2, दिनांक 21.11.2024 एवं पत्र सं0-I/869977/2025, दिनांक 04.02.2025 द्वारा की गई अपेक्षा के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त विषयगत प्रकरण में इण्टरचेंज के निर्माण हेतु शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

"यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इन्टरचेन्ज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी ड्राइंग डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इन्टरचेन्ज के निर्माण में व्यय होने वाली समस्त धनराशि का वहन एन0एच0ए0आई0 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वयं किया जायेगा तथा निर्माण होने के बाद इन्टरचेन्ज का रख-रखाव (Operation & Maintenance) एवं उस पर स्थापित होने वाले टोल प्लाजा का निर्माण/संचालन/नियंत्रण एन0एच0ए0आई0 द्वारा ही सम्पादित किया जाएगा। इन्टरचेन्ज के निर्माण से संबंधित भूमि का स्वामित्व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पास ही बना रहेगा।"

2. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार लिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव

प0सं0-70/2025/001-214(1)/23-12-2025-1177893 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
(3) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ।
(5) क्षेत्रीय अधिकारी (यू0पी0 वेस्ट), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0 मेरठ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शेषनाथ
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।